न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी
नकल प्राप्ति तिथि 20/3/13
मुकदमा नम्बर 1008/11
उनवान [illegible]
आगामी तारीख पेशी
फैसल

न्यायालय उपजिला कल्क्टर पहाडी भरतपुर

मुकदमा न0

उनवान

नूरिया W/O साहब खाँ जाति मेव जोतगावेती तहसील पहाडी

बादी

बनाम,

1 हरु **S/O** हरनाम सिंह

2 बूढ सिंह **S/O** पिसरान हरनाम सिंह

3 रेशम **S/O** पिसरान हरनाम सिंह

4 नरेश **S/O** पिसरान हरनाम सिंह

5 प्रेम सिंह **S/O** राम सिंह जाति राय सिख्ख निवासी भोजपुर तहसील पहाडी

अन्तर्गत धारा 188 **RTACT**

निर्णय दिनांक 20/3/13

वादनी ने अन्तर्गत धारा 188 **RTACT** के तहत न्यायालय दावा प्रस्तुत किया है कि आराजी मुतनाजा दायरा न0 228 रकवा 052 वारते ग्राम ग्राम भोजपुर तहसील पहाडी पर वादनी रिकॉर्ड खातेदार काश्तगार है तथा आराजी मुतनाजा का राज लगान वादनी निरन्तर जमा कराती रही है। तथा आराजी मुतनाजा पर वर्तमान में फँसला गेंहू भी वो रखी है जो इस समय सरसब्ज खडी है प्रतिवादी गणों का आराजी मुतनाजा पर कभी भी किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा है ना ही इस समय है लेकिन प्रतिवादी गण जबादस्ती वादनी भी आराजी में खडी फसल को नस्ट मुस्ट करना चाहते है। वादनी पर नाजायज रूप से दवाब डालते है कि आराजी मुतनाजा को बयनामा हमारे नाम करा दें अन्यथा तुम्हारी जमीन की फसल नही कटने देंगे। प्रतिवादी वादनी को कडब फसल को आराजी मुतनाजा में रखी थी उसे बनियत चोरी कर ले गये। जिसकी रिपोर्ट वादनी काटा थाना गोपालगढ में कराई जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करना चाहते है। बिदि वजह वादनी विरुद्व प्रतिवादीगण डिकि हुल्म इम्तगई दवामी जारी करवाने का अधिकारी है। दि026/03/12 को प्रतिवादीगण 1 लगाय

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

...की ओर अभिभाषक की मुवराज सिंह उपस्थित होकर वकालत नामा पेश किया। जवाब के लिए समय चाहा प्रतिवादीगण के अभिभाषक द्वारा दि0 30/04/12, 26/06/13

07/08/

31/08/12, 08/10/12, 26/11/12 को जवाब के लिए समय दिया गया ...जवाब पेश नहीं किया गय। दिनांक 03/01/13 को प्रतिवादीगणों को जवाब ...किया गया। तथा प्रतिवादी गण के खिलाफ एक तरफा बहस सुनी गयी तथा

नूरिया s/0 साहब जाति मेव जोतगामेती द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि खसरा न0 281052 वरियाम भोजपुर तहसील पहाडी पर रिकॉर्ड खातेदार है इस समय आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी गण का कोई सम्बन्ध नहीं रहा एवं जबरदस्ती लदन के नल से कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण को पावन्द किया जावे कि मेरी जमीन पर मुझे काश्त करने से नहीं रोके एवं खडी फसल नस्ट नहीं करें शपथ अमर सिंह **s/0** निवाज खां एवं साहब खां **s/0** अहमद जाति मेव सा0 जोतगामेती ने प्रस्तुत किया कि करीकन मुकदमा और आराजी को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो आरामी मुतनाजा है वह मेरे न0 के करीव है जिस पर नूरिया कब्जा काश्त करती चली आ रही है जिसका आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादी गण को कोई कब्जा नहीं रहा है। जो जबरदस्ती नूरिया की जमीन को कब्जा करना चाहते है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा हस्तोवजात का मना किया कि आराजी मुतनाजा खसरा न0228/032 वास्ते ग्राम भोजपुर पर वादनी नूरिया खातेदार काश्त है। जिस पर लगातार काश्त करती चली आ रही है। तथा शपथ कर्ता अमर सिंह पु0 निवाजा व साहब पु0 अहमद जाति मेव सा0 जोतगामेती द्वारा भी खसरा न0 228/052 वास्ते ग्राम भोजपुर कब्जा काश्त बतलाया है। जिसका प्रतिवादी गणों का प्रतिवादी गणों का कोइ किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादी गण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये न ही कोई जवाब पेश किया जिसका जवाब बन्द किया गया एक तरफा बहस सुनी गयी। वादनी नूरयी **s/0** साहब खां जाति मेव सा0 जोतगावेती आ02 न0 228/052 वरियाम भोजपुर पर खातेदार काश्तगार है तथा आराजी मुतनाजा पर कब्जा काश्त करती चली आ रही है।

अत आदेश दिया जाता ह कि प्रतिवादी गणों का डिकि हुक्म इम्तनाई दवामी के पाबन्द किया जाता है कि आराजी मुतनाजा खसरा न0 **228/0.52** है वरिग्राम

भोजपुर से वादनी को कब्जे काश्त करने से न रोके तथा मजाहमत व मदाखलत नही

करे बोई गई फसलों को नस्ट नहीं करें।

उपरोक्त आदेश निर्णय खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)